राजस्व अपील संख्या 468/2022

अनवान

गणपत सिंह वगैराह बनाम राज0 राज्य जरिये तहसीलदार सेखाला

दिनांक 14–09–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या ..../2022 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव हस्तिनापुर में पारित आदेश दिनांक 08.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 08.06.2022 के क्रम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार सेखाला उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका जॉच करे और मौका रिपोर्ट तैयार करे। यदि मौका जॉच व पक्षकारान की विधिवत सुनवाई के उपरान्त पूर्व में पारित आदेश उचित ठहरता है तो उसे यथावत रखा जावे, अन्यथा उपखण्ड अधिकारी, बालेसर उक्तानुसार प्राप्त मौका फर्द व सुनवाई पश्चात नये सिरे से विधिवत आदेश पारित किया जावें। मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को बन्द नहीं किया जावें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर